



का. नं. 8-11/13 को
 न्यायालय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Diwakar Dicit
 2-11-13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

12013 जिला-विदिशा

रि.नं. 3998-113

नजर अली. आत्मज श्री सरदार अली,
 निवासी- ग्राम मण्डी गुलाबगंज, तहसील
 गुलाबगंज, जिला-विदिशा (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार गुलाबगंज,
 जिला-विदिशा

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 899-PBR/2012 निगरानी में
 पारित आदेश दिनांक 05.09.2013 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व
 संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3998-एक/2013

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	कलमों एवं अधिनियमों आदि के इस्तेमाल
2.3.16	<p>उभयपक्ष अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 899-पीबीआर/12 में पारित आदेश दिनांक 05-09-2013 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-</p> <p>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।</p> <p>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।</p> <p>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।</p> <p>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।</p>	

OK

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष